न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 149 / 2025
दायर दिनांक :– 31.07.2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 411
निर्णय दिनांक :– 13.03.2026

01. उतमसिंह पुत्र जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू जोधाणी तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

01. माडूदेवी पत्नी मूलसिह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
02. अभयसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
03. अर्जुनसिंह पुत्र अभयसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
04. गोपालकंवर पत्नी रूपसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
05. पूनमसिंह पुत्र अभयसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
06. भोपालसिंह पुत्र अभयसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
07. भोमसिंह पुत्र अभयसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
08. सुमेरसिंह पुत्र अभयसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
09. चन्द्रसिंह पुत्र मोडसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
10. नारायणसिंह पुत्र मोडसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
11. प्रतापसिंह पुत्र मोडसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
12. चुतरसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
13. नौजकवर पत्नी विजयसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
14. पपूसहि पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
15. धनेसिंह पुत्र जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी टेपू उर्फ जोधाणी तह. बाप जिला फलोदी
16. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री नारायणसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

निर्णय

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 15 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 184 रकबा 3.6098 हैक्टेयर ग्राम टेपू जोधाणी पटवार क्षेत्र टेपू जोधाणी तहसील बाप की सरहद में स्थित है। जमाबंदी व राजस्व भू–नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 21.05.2025

Satya..

को जारी आदेश क्रमांक संख्या 2025/49512/2 की पालना में दिनांक 23.05.2025 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर पैमाईश कर मौका पर ही फर्द सीमाज्ञान तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थी तथा पड़ोसी खातेदान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिन्ह कायम किये गये। फर्द मौका की प्रमाणित प्रतिलिप संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। दिनांक 23.05.2025 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो के अनुसार प्रार्थी द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टिया रोपकर बाड़, तारबंदी इत्यादि करना शुरू करने पर पड़ोसी खातेदारान व्यवधान पैदाकर प्रार्थी को तारबंदी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थी की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थी अपनी फस्ल, घास पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबंदी जाली नहीं कर पाने से प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 23.05.2025 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 15 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 3.6098 हैक्टेयर सरहद मौजा टेपू जोधाणी पटवार क्षेत्र टेपू जोधाणी तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 15 का अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसलिये प्रार्थी दिनांक 23.05.2025 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

उभय प्रार्थी की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2076–2079, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि वादग्रस्त खसरा में प्रार्थी 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। शेष 1/2 हिस्से खातेदार को प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 15 पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज है दुसरें 1/2 हिस्सा अन्य खातेदार के नाम दर्ज है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 15 की संयुक्त खातेदारी के चलते भूमि के प्रत्येक इंच पर सह खातेदार का अधिकार है। प्रत्येक सह खातेदार के पास कृषि भूमि का कौनसा विशिष्ट भू–भाग होगा इसका निर्धारण भूमि विभाजन के पश्चात ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 पोषणीय नहीं होने स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

Satya.

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्य नारायण–I आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)